न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 21/2012 (76 एल.आर.एक्ट)

उनवान

1. छोटा पुत्र समन्द खां जाति मेव निवासी ग्राम अभनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री जनार्दन शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी स्वयं उपस्थित ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–23.06.2017

2. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 14.02.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने यह अपील सहायक वन संरक्षक, अलवर के आदेश दि0 5.11.2009 जिसके द्वारा अपीलांट को आराजी ख0 नं0 371 रकबा 5.78 है0 किस्म गै0मु0 बेहड़ वाके ग्राम अमनपुर तहसील किशनगढ़बास में से 5 बीधा का अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने एवं 500 रू0 शास्ती वसूल के आदेश दिये । विद्वान तहत न्यायालय ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 14.2.2012 को अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय दि0 14.02.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि आराजी गत ख0 नं0 401 मिन व 402 मिन अपीलांट के बुजुर्ग समेला, निजरू, समन्द खां सम्भाग की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिसका इन्द्राज समस्त साबिक रेकार्ड में हो रहा है । उक्त विवादित आराजी पर कभी भी वन विभाग का कब्जा नहीं रहा है ना ही आज वर्तमान में वन विभाग का कब्जा है । राजस्व कर्मचारियों की गलती से अपीलांट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी का राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से वन विभाग का नाम अंकन किया गया है । खातेदारी की आराजी पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । सहायक वन संरक्षक अलवर के द्वारा प्रार्थी अपीलांट को कोई नोटिस किसी प्रकार से जारी नहीं किये गये ना ही अपीलांट को कोई सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा एकतरफा में आदेश पारित किया गया है । उन्होंने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा समस्त राजस्व रेकार्ड जिसमें अपीलांट के पूर्वजों की खातेदारी का अंकन दर्ज था, प्रस्तुत किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड की अनदेखी करते हुए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें ।

6. प्रतिउत्तर में क्षेत्रीय वन अधिकारी ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि साबिक ख0 नं0 402 कुल रकबा 36 बीघा 6 बिस्वा वन खण्ड भटकोल का राजस्थान राजपत्र अगस्त 20, 1985 को नोटिफिकेशन हो चुका है । इसी भूमि में से हाल ख0 नं0 371 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा भूमि वन भूमि नोटिफिकेशन अनुसार सरंक्षित वन के रूप में घोषित हो चुकी है । उक्त हाल ख0 नं0 371 रकबा 23 बीघा 6 बिस्वा वाली संरक्षित वन भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वन भूमि दर्ज है । अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दि0 12.12.96 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । अपीलांट ने अपनी अपील में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि उसके पास उक्त आराजी कहां से आयी । उक्त अपील वन भूमि से संबंधित है .। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 202/95 टी.एन.गोडावर्मन बनाम यूनियम ऑफ इंडियर में दि0 12.12.96 को दिये गये निर्णय/आदेश से उक्त अपील प्रभावी है । अरावली अधिसूचना दि. 7.5.1992 में उल्लेखित वन भूमियों में से उक्त अपील में अंकित वन भूमि की किस्म गे0मु0 पहाड़ है जिस वन भूमि पर अध्यादेश दि0 7.5.1992 के प्रावधान लागू होते हैं । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर एवं सहायक वन संरक्षक अलवर के निर्णय को यथावत रखा है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम अमनपुर तहसील किशनगढ़बास सम्वत् 2063–2066 में उक्त आराजी वन विभाग के नाम दर्ज रेकार्ड है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख0 नं0 371 पुराना नम्बर 401 मी0 व 402 मी0 ग्राम भटकोल वनखण्ड भटकी में आता है । विद्वान क्षेत्रीय वन अधिकारी बहस में जाहिर किया

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

कि साबिक ख0 नं0 402 कुल रकबा 36 बीधा 6 बिस्वा वन खण्ड भटकोल का राजस्थान राजपत्र अगस्त 20, 1985 को नोटिफिकेशन हो चुका है । इसी भूमि में से हाल ख0 नं0 371 रकबा 23 बीधा 6 बिस्वा भूमि वन भूमि नोटिफिकेशन अनुसार सरंक्षित वन के रूप में घोषित हो चुकी है । उक्त हाल ख0 नं0 371 रकबा 23 बीधा 6 बिस्वा वाली संरक्षित वन भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में वन भूमि दर्ज है । अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दि0 12.12.96 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है । साथ ही विवादित आराजी राज्य सरकार की विज्ञप्ति जयपुर दि0 अगस्त 20, 1985 के द्वारा वन विभाग के नाम आयी है जिस पर अपीलांट को कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलांट ने विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से अतिक्रमण कर रखा है जिसका उसे कानूनन कोई अधिकार नहीं है । तहत न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई हेतु विधिवत् तामील करवायी थी किन्तु वह जानबूझकर उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई । अपीलांट ने विवादित आराजी उनके पिता के नाम खातेदारी बाबत कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि विवादित आराजी अपीलांट के बुजुर्गान की रही हो । इसलिए विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं । परिणामतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विद्धान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 14.02.2012 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 23.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner